(भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-।।, खंड 3, उपखंड-(i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

सं०16/2017-सेवाकर

दिनांकः 13 अप्रैल, 2017

सा.का.नि. (अ)- वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) की धारा 94 की उपधारा (2) के साथ पठित उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार एतदद्वारा सेवाकर नियमावली, 1994 में संशोधन करने के लिए और आगे निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:-

1. (1) इन नियमों का नाम सेवाकर (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2017 है।

(2) अन्यथा दी गई बातों को छोड़कर, ये नियम 23 अप्रैल, 2017 से लागू होंगे।

2. सेवाकर कर नियमावली, 1994 में-

(i) नियम 2 में, उपनियम (1) में, उपवाक्य (घ) में, उपवाक्य (i) में, मद (ईईसी) के स्थान निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा यथा:-

'' (ईईसी) गैर कर लगने योग्य भू-क्षेत्र में अवस्थित व्यक्ति द्वारा गैर कर लगने योग्य भू-क्षेत्र में अवस्थित व्यक्ति को भारत से बाहर अवस्थित स्थान से भारत में स्थित निकासी के सीमाशुल्क स्टेशन पर समुद्री जहाज द्वारा वस्तुओं के परिवहन के माध्यम से दी गई सेवाओं अथवा दिए जाने के लिए सहमति व्यक्त की गई सेवाओं के संबंध में, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 2 के उपवाक्य (26) के अंतर्गत यथा परिभाषित आयातक;'',

(ii)नियम 6 में-

(क) उपनियम (7ग) के पश्चात, निम्नलिखित उपनियम, 22 जनवरी, 2017 से अंतस्थापित किया जाएगा:-

> "(7गक) गैर कर लगने योग्य भू-क्षेत्र में अवस्थित व्यक्ति द्वारा गैर कर लगने योग्य भू-क्षेत्र में अवस्थित व्यक्ति को भारत से बाहर अवस्थित स्थान से भारत में स्थित निकासी के सीमाशुल्क स्टेशन पर समुद्री जहाज द्वारा वस्तुओं के परिवहन के माध्यम से दी गई कर लगने योग्य सेवाओं अथवा दिए जाने के लिए सहमति व्यक्त की गई कर लगने योग्य सेवाओं के संबंध में सेवाकर अदा किए जाने के लिए दायी व्यक्ति को, ऐसी वस्तुओं की लागत, बीमा तथा माल ढुलाई के कुल योग(सीआईएफ) के 1.40 प्रतिशत की दर से गणित धनराशि को अदा करने का विकल्प होगा;''

(iii) उपनियम (7घ) और (7ड). में, “(7ख) अथवा (7ग)” कोष्ठक, शब्द अथवा अंक जहां कहीं आए, के स्थान पर “(7ख), (7ग) अथवा (7गक)” कोष्ठक, शब्द अथवा अंक, 22 जनवरी, 2017 से प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

(फा॰सं॰ 354/42/2016-टीआरयू)

(मोहित तिवारी)

अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पणी: प्रधान नियम दिनांक 28 जून, 1994 की अधिसूचना संख्या 2/94-सेवाकर के अंतर्गत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-।।, खंड 3, उप खंड-(i) में दिनांक 28 जून, 1994 की सा.का.नि. सं 546(अ), के तहत प्रकाशित किए गए थे और इनमें दिनांक 30 जनवरी, 2017 को सा.का.नि.सं॰ 73(अ) के अंतर्गत प्रकाशित अधिसूचना संख्या 6/2017-सेवाकर, दिनांक 30 जनवरी, 2017 द्वारा अंतिम बार संशोधन किया गया था।